भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 995

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022 (22 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

साइबर पोर्टल पर साइबर अपराध की शिकायतें

†995 डॉ. अरविन्द कुमार शर्माः
श्री शंकर लालवानीः
डॉ भारतीबेन डी. श्यालः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी खातों और मोबाइल नंबरों के आधार से जोड़े जाने के बाद भी साइबर पोर्टल पर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के बाद भी साइबर अपराधियों को नहीं पकड़ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रणाली में उन खामियों को चिन्हित किया है, जो इस विफलता के लिए उत्तरदायी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान साइबर पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों का और उनके निपटान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को उनकी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन में उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

लोक सभा अता. प्र. सं. 995 दिनांक 13.12.2022

गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, नागरिकों को सभी प्रकार के साइबर अपराध की घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक केंद्रीयकृत तंत्र प्रदान करने हेतु 30 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल पर दर्ज घटनाओं, उनको एफआईआर में बदलने और उन पर उत्तरवर्ती कार्रवाई को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। रखे गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2020 से 07.12.2022 तक 16 लाख से अधिक साइबर अपराध की घटनाएं दर्ज की गई और 32,000 से अधिक एफआईआर पंजीकृत की गई हैं।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा रुपयों की चोरी को रोकने के लिए "नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली" भी शुरू किया गया है। अब तक, 180 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी के लेनदेनों को बचाया जा चुका है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

गृह मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है तथा उन्हें साइबर अपराध की सूचित घटनाओं का शीघ्र निपटान करने की सलाह देता है।

****